कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून– 248001
फोन न0 (0135) – 2713760, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2713724

सख्याः 594 /XXV–(P-7)/2008 देहरादूनः दिनाक 15 फरवरी, 2019.

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी,
कार्यालय राज्य निर्वाचन आयोग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः– **सूचना के अधिकार के अन्तर्गत चाही गयी सूचनाओं से संबंधित आवेदन पत्र का हस्तान्तरण।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री रामदयाल पता ग्राम कैन्यूर पो0 थलीसैण पट्टी चौपडाकोट जिला पौड़ी गढ़वाल पिन–246285 के सूचना के अधिकार संबंधी प्रार्थना पत्र दिनांक शून्य की प्रति इस आशय से संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि आवेदक द्वारा चाही गयी वांछित सूचना आपके विभाग/कार्यालय से संबंधित है, जिसे सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु हस्तान्तरित किया जा रहा है।

अतः कृपया नियमानुसार वांछित सूचना आवेदक को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

B.S. Rawat
(बी0एस0रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

पृ0संख्या 594/XXV–12(P–7)/2008, तददिनांक।
प्रतिलिपि श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री रामदयाल पता ग्राम कैन्यूर पो0 थलीसैण पट्टी चौपडाकोट जिला पौड़ी गढ़वाल पिन–246285 को सूचनार्थ प्रेषित।

B.S. Rawat
(बी0एस0रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

प्राप्त
15/2/19

सेवा में,

श्रीमान मुख्य चुनाव अधिकारी
देहरादून उत्तराखण्ड

विषय:- R.T.I के तहत सूचना प्राप्ति हेतु।

महोदय

निवेदन इस प्रकार से है कि प्रार्थी ग्राम कैन्यूर पो० ऑफिस थलीसैंण जिला पौडी गढवाल से अनुसूचित जाति का सदस्य है और प्रार्थी निम्न बिन्दु पर सूचना प्राप्त करना चाहता है,

① ग्राम कैन्यूर पो० थलीसैंण पट्टी चौपड़ाकोट जिला पौडी गढवाल मे अनुसूचित वर्ग का बडी संख्या मे होने के बावजूद वर्तमान समय तक ग्राम प्रधान व क्षेत्र पंचायत की सीट को आरक्षित क्यों नही रखा गया?

② क्या वर्तमान चुनाव मे निम्न सीटें आरक्षित हो सकती है?

प्रार्थी

प्रदीप कुमार s/o रामदयाल
पता - ग्राम कैन्यूर पो. थलीसैं
पट्टी चौपडाकोट जिला
पौडी गढवाल
पिन - 246285

उत्तराखण्ड शासन
सचिवालय प्रशासन(विविध)अनुभाग–4
संख्या : 03/सचि0प्रशा0(विविध)अनु0–4/2019
देहरादून:दिनांक 11 फरवरी, 2019

समस्त अनुभाग अधिकारी,
उत्तराखण्ड शासन।

कृपया प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, के पत्र संख्या–365/उ0सू0आ0/2018–19, दिनांक 11.01.2019 के क्रम में सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रवेश पत्र कार्यालय में विभाग के समस्त लोक सूचना अधिकारी/अपीलीय अधिकारियों के विभागवार नाम व पदनाम/स्थान अंकित करते हुए एक वाल पेंटिंग लगाये जाने की अपेक्षा की गई है।

इस सम्बन्ध अनुरोध है कि आप अपने विभाग से सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी/अपीलीय अधिकारियों के नाम पदनाम व स्थान से सम्बन्धित सूचना इस कार्यालय को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे कि प्रवेश पत्र कार्यालय में लोक सूचना अधिकारी/अपीलीय अधिकारियों के नाम, पदनाम/स्थान अंकित करते हुए एक वाल पेंटिंग लगाई जा सके।

ARO I(K)
11-2-2019
S.O.

जसविन्दर कौर
(जसविन्दर कौर)
अनु सचिव

संलग्नक–10

अनुरोध को सूचना देने सम्बन्धी प्रपत्र
कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, अल्मोड़ा।

पत्र संख्या 123 /29–सूचना का अधि0/2018 दिनांक 25 जनवरी, 2019

सेवा में,

श्री प्रमोद अग्रवाल गोल्डी,
कपिल कॉलोनी,
मुखानी, हल्द्वानी।

विषयः– **सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गई सूचना उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 4099/XXV-12(P-7)/2008 दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 के साथ संलग्न आपके सूचना के अधिकार संबंधी पत्रांक 4002/2018 दिनांक 01.12. 2018 जो दिनांक 1 जनवरी, 2019 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है, के क्रम में वांछित सूचना निम्नानुसार प्रेषित है।

बिन्दु संख्याः 01– में 9 नवम्बर, 2000 से दिसम्बर, 2018 तक की अवधि में लगाई गई आचार संहिता का विरण निम्नवत है।

सामान्य निर्वाचन/उप निर्वाचन का नाम	आदर्श आचार संहिता प्रभावी रहने का विवरण
1– विधान सभा सा0 निर्वाचन–2002	26 दिसम्बर, 2001 से 28 फरवरी, 2002 तक
2– लोक सभा सा0 निर्वाचन–2004	29 फरवरी 2004 से 25 मई, 2004 तक
3– 45–द्वाराहाट विधान सभा उप निर्वाचन–2004	13 सितम्बर, 2004 से निर्वाचिनन समाप्ति तक
4– विधान सभा सा0 निर्वाचन–2007	29 दिसम्बर, 2006 से 2 मार्च, 2007 तक
5– लोक सभा सा0 निर्वाचन–2009	02 मार्च, 2009 से 28 मई, 2009 तक
6– विधान सभा सा0 निर्वाचन–2012	24 दिसम्बर, 2011 से निर्वाचन समाप्ति तक
7– लोक सभा सा0 निर्वाचन–2014	05 मार्च, 2014 से निर्वाचन समाप्ति तक
8– 51– सोमेश्वर (अ0जा0) विधान सभा उप निर्वाचन– 2014	18 जून, 2014 से निर्वाचन समाप्ति तक
9– विधान सभा सा0 निर्वाचन–2017	04 जनवरी, 2017 से निर्वाचन समाप्ति तक

बिन्दु संख्याः 02– वांछित सूचना कार्यालय में धारित नहीं है।

बिन्दु संख्याः 03– इस कार्यालय से संबंधित नहीं है।

उक्त सूचना निर्वाचन की वेवसाईड ceo.uk.gov.in में भी देखी जा सकती है।

इस आदेश के अन्तर्गत दी गई जानकारी से यदि असंतुष्ट हो तो आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के अन्दर विभाग के अपीलीय अधिकारी जिनका पता निम्नवत है, अपील दायर कर सकते है।

अपीलीय अधिकारी का पता–
प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी,
उपर जिलाधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
कलैक्ट्रट परिसर, अल्मोड़ा।

भवदीय,

(शंकर राम)
लोक सूचना अधिकारी/
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी,
अल्मोड़ा।

पत्रांकः /29–सूचना का अधिकार/2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– अनुभाग अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड देहरादून के उनके पत्र संख्याः 4099/XXV-12(P-7)/2008 दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(शंकर राम)
लोक सूचना अधिकारी/
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी,
अल्मोड़ा।